

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 08/24

दायरा दिनांक 07.06.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

प्रहलाद पुत्र मंगलिया जाति जाटव निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद जिला-बारां राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक 02.06.2025

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट


अप्रार्थी की ओर से – परोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम होडापुरा पटवार हल्का बीलखेडाडांग में ख0नं0 108 रकबा 2.02 बीघा, ख0नं0 465 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 467 रकबा 1.02 बीघा कित्ता 3 रकबा 5.03 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन/पैमाईश करवाने हेतु अप्रार्थी को आवेदन पेश किये। अप्रार्थी द्वारा दिये गये आदेश क्रमांक/एल.आर./2024/959 दिनांक 03.05.2024 की पालना में हल्का पटवारी को प्रार्थी की भूमि की पैमाईश करनी थी, लेकिन हल्का पटवारी ने बिना मौके पर जाये आदेश की पालना किये वगैर दिनांक 27.05.2024 को मिथ्या रिपोर्ट बना दी कि प्रार्थी का कब्जा नहीं है, पैमाईश नहीं की जा सकती है। हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर मिथ्या आधार बनाकर पैमाईश से इनकार किया है, जबकि पूर्ववर्ती गिरदावरी सम्वत 2073-76 में प्रार्थी द्वारा काश्त की गई फसलों का स्पष्ट इन्द्राज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन कर स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, इस बावत यह प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम होडापुरा पटवार हल्का बीलखेडाडांग में ख0नं0 108 रकबा 2.02 बीघा, ख0नं0 465 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 467 रकबा 1.02 बीघा कित्ता 3 रकबा 5.03 बीघा की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कड्डा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। दोनो पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम होडापुरा सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 65 अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि ख0नं0 108 रकबा 2.02 बीघा, ख0नं0 465 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 467 रकबा 1.02 बीघा कित्ता 3 रकबा 5.03 बीघा का रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर आराजी ख0नं0 108 रकबा 2.02 बीघा पर श्रीलाल पुत्र नत्थू काछी का, ख0नं0 467 रकबा 1.02 बीघा पर पुरुषोत्तम पुत्र गोविंदा जाटव का तथा ख0नं0 465

02.06.2025  
उपखण्ड अधिकारी

रकबा 1.19 बीघा पर घनश्याम लच्छी लालाराम पुत्र धन्ना जाटव का कब्जा होना पाया गया है, परन्तु प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी अनुसार वादी का कब्जा दर्ज रिकार्ड है, इस आधार पर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर विवादित आराजी ख0नं0 108 रकबा 2.02 बीघा, ख0नं0 465 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 467 रकबा 1.02 बीघा कित्ता 3 रकबा 5.03 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावें, परन्तु विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी नियमानुसार प्रथक से कार्यवाही करे। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
02.06.2025  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहाबाद